

‘भगवान बरिसा मुंडा स्व-रोज़गार योजना’, ‘टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना’ एवं ‘मुख्यमंत्री अनुसूचति जनजात विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना’ की स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

6 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रपरिषद ने अनुसूचति जनजात विरग के युवाओं को स्व-रोज़गार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिये 3 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। इसमें ‘भगवान बरिसा मुंडा स्व-रोज़गार योजना’, ‘टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना’ एवं ‘मुख्यमंत्री अनुसूचति जनजात विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना’ शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- ‘भगवान बरिसा मुंडा स्व-रोज़गार योजना’ में वननिर्माण गतिविधियों के लिये एक लाख से 50 लाख रुपए तक तथा सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिये एक लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएँ स्वीकृत की जाएंगी।
- योजना का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिये।
- योजना में हतिग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित एवं शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलति दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) नगिम द्वारा वहन किया जाएगा। आवश्यकतानुसार इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- ‘टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना’ में ऐसे अनुसूचति जनजात के सदस्य, जो आयकर दाता नहीं हों, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, उन्हें सभी प्रकार की स्व-रोज़गार गतिविधियों के लिये 10 हजार से एक लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिये बैंकों से ऋण दलिवा कर हतिग्राही को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलति दर पर अधिकतम 5 वर्षों के लिये दिया जाएगा।
- ‘मुख्यमंत्री अनुसूचति जनजात विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना’ में मुख्यतः अनुसूचति जनजात विरग के हतिग्राहियों को लाभान्वति करने के लिये वभिन्न वभागों अथवा ज़िला कलेक्टर से प्राप्त होने वाले ऐसे वशिष परियोजना प्रस्ताव, जो लाइन वभागों की प्रचलति कसि भी योजना परियोजना में किया जाना संभव न हो तथा अनुसूचति जनजात विरग के लिये किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हो, को वित्त पोषण के लिये अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की संपूर्ण परियोजना लागत राशा शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
- कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, तकनीक शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार, आयुष और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वभाग आदि से प्राप्त ऐसे वशिष परियोजना प्रस्ताव को मुख्य सचवि की अध्यक्षता में गठित राज्य परियोजना क्रियान्वयन समितिकी अनुशंसा पर परियोजना लागत राशा प्रदान की जाएगी।
- योजना में स्व-रोज़गार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन एवं नवाचार संबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाएगा। परियोजना में कम-से-कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचति जनजात विरग के होना अनविर्य होगा।